संख्या- 184/2022/11-6-2022-एम(23)/2022

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राज्य कर अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 23 नवम्बर, 2022

विषयः पुराने सिनेमा भवन को तोड़कर उसके स्थान पर अन्य व्यवसायिक काम्पलेक्स अथवा किसी अन्य निर्माण की अनुमति प्रदान करने के संबंध में अनापत्ति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 एवं उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सिनेमा भवनों के मानचित्र को स्वीकृति विषयक आवास विभाग के शासनादेश संख्या-2436/9-आ-3-98-78 काम्प/87 दिनांक 28.08.1998 में उल्लेख है कि पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर उसके स्थान पर व्यावसायिक काम्पलेक्स अथवा किसी अन्य निर्माण का प्रस्ताव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से शासन को संदर्भित किया जायेगा और शासन द्वारा विचारोपरान्त अनुमति प्रदान की जायेगी। शासन की अनुमति के पश्चात ही निर्माण मानचित्र सक्षम स्तर से स्वीकृत कराया जायेगा।

2. उल्लेखनीय है कि कोई भी सिनेमा हॉल संचालित होने की स्थिति में माह जून, 2017 के पूर्व उस पर मनोरंजन कर देय था, उसके उपरान्त नियमानुसार माल और सेवा कर देय है। किसी सिनेमा का संचालन किये जाने पर विभाग द्वारा सिनेमा के सम्बन्ध में मनोरंजन कर, ब्याज व शास्ति के बकाये (दिनांक 30.06.2017 तक की अवधि हेतु) अथवा दिनांक 01.07.2017 से माल और सेवा कर (जी0एस0टी0) की देयता हो सकती है, इसके अतिरिक्त संबंधित सिनेमा किसी प्रोत्साहन योजना से आच्छादित हो सकता है, जिसकी अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही संबंधित सिनेमा भवन को तोड़ने एवं उसके स्थान पर अन्य निर्माण की अनुमति प्राप्त किये जाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अथवा तत्संबंधी सिनेमा के संबंध में कोई विभागीय वाद भी किसी न्यायालय में लम्बित हो सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के शासनादेश संख्या-2436/9-आ-3-98-78 काम्प/87 दिनांक 28.08.1998 के अनुसार पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर उसके स्थान पर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स अथवा किसी अन्य निर्माण संबंधी अनुमति प्रदान करने से पूर्व सिनेमा स्वामी अथवा आवास विभाग द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा:-

(1) संबंधित सिनेमा पर मनोरंजन कर, ब्याज व शास्ति के बकाये (दिनांक 30.06.2017 तक की अवधि हेतु) तथा दिनांक 01.07.2017 से माल और सेवा कर (जी0एस0टी0) के बकाया न होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(2) संबंधित सिनेमा के किसी प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त किये जाने की स्थिति में उसके द्वारा संबंधित योजना की शर्तों का सम्यक् अनुपालन किये जाने तथा उसका किसी प्रकार से उल्लंघन न किये जाने संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(3) तत्संबंधी सिनेमा के संबंध में करारोपण, विभागीय नियमों के उल्लंघन अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई विभागीय वाद किसी न्यायालय में लम्बित न होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में संबंधितों को दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-184/2022/(1)/11-6-2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित:-

(1) आयुक्त, राज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा आयुक्त, राज्य कर उ0प्र0।
(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार माहेश्वरी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in